जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

द्वितीय संयुक्त काउंसिलिंग सूचना (सत्र 2011–12)

पी.ए.टी. परिणाम 2011 के आधार पर बी.एससी. (कृषि) एवं बी.एससी. (उद्यानिकी) पाठ्यक्रम हेतु द्वितीय संयुक्त काउंसिलिंग

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक बी–4/42/2010/14–2 दिनांक 04.10.2011 के आदेशानुसार एन.आर.आई वर्ग की रिक्त सीटो को पेमेंट सीट में परिवर्तित कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में आयोजित प्रथम संयुक्त काउंसिलिंग के पश्चात विभिन्न कृषि महाविद्यालयो एवं उद्यानिकी महाविद्यालय में रिक्त रह गई सीटो एवं एन.आर.आई परिवर्तित पेमेंट सीट हेतु द्वितीय संयुक्त काउंसिलिंग का आयोजन जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में पी.ए.टी नियम पुस्तिका 2011 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

द्वितीय संयुक्त काउंसिलिंग कार्यक्रम

बी.एससी. (कृषि) एवं बी.एससी. (उद्यानिकी) पाठ्यक्रम में मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश (फ्री एवं पेमेंट सीट हेतु)

काउंसिलिंग स्थलः– कृषि महाविद्यालय सभागार, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर

काउंसिलिंग दिनांक एवं समयः– 24 अक्टूबर, 2011 प्रातः 10:00 बजे से

उपलब्ध फ्री एवं पेमेंट सीट				
श्रेणी /वर्ग		फ्री सीट	पेमेंट सीट	पी. ए. टी. प्राप्तांक
अनारक्षित/बिना वर्ग	UR (X)	01	08	133.00 - 95.00
अनु.जाति/बिना वर्ग	SC (X)	--	04	120.00 - 79.00
अनु.ज.जाति/बिना वर्ग	ST (X)	--	06	112.00 - 77.00
अ.पि.वर्ग/बिना वर्ग	OBC (X)	01	02	138.00 - 116.00
अनारक्षित/महिला	UR (F)	--	04	93.00 - 67.00
अनु.जाति/महिला	SC (F)	01	--	87.00 - 61.00
अ.पि.वर्ग/ महिला	OBC (F)	--	01	87.00 – 64.00
अनु.जाति/स्व.स.से.	SC (FF)	01	--	82.00 – 59.00
अनु.ज.जाति/ स्व.स.से.	ST (FF)	05	--	78.00 – 55.00
अ.पि.वर्ग/ स्व.स.से.	OBC (FF)	01	--	70.00 – 43.00

विशेष सूचनाः–

1. प्रवेश के पात्र वे ही अभ्यर्थी होगे जिनके नाम व्यापम, भोपाल द्वारा पी.ए.टी.–2011 की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची में अधिसूचित किए गए है।
2. अनारक्षित/बिना वर्ग की सूची में अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का नाम शामिल है तो वह भी प्राप्तांको के आधार पर काउंसिलिग में भाग ले सकेगे।
3. जिन अभ्यर्थियो को प्रथम काउंसिलिंग के समय प्रवेश मिल चुका है वे द्वितीय काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगे।
4. **पी.ए.टी.–2011 की नियम पुस्तिका में वर्णित समस्त दस्तावेज यथा पी.ए.टी.–2011 की अंक सूची, 10+2 की अंक सूची, आरक्षित श्रेणी का यथा योग्य प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, गैप प्रमाण पत्र, स्वं.सं.सैनानी प्रमाण पत्र एवं कृषक प्रमाण पत्र उचित प्रारुप में लाना आवश्यक है।**
5. केम्पस का निर्धारण जबलपुर में काउंसिलिंग समिति से विचार–विमर्श एवं विभिन्न महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जावेगा।
6. अनारक्षित श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों तथा अन्य पिछडा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके माता/पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 75,000/– से अधिक है, को भी रु. 5000/– (रु. पॉच हजार) का रेखांकित बैक ड्राफ्ट, जो **"ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर"** को देय हो, लाना आवश्यक है। निर्धारित शुल्को की शेष राशि उस महाविद्यालय में जमा करनी होगी जिस महाविद्यालय में प्रवेश दिया जावेगा।

कृ.प.उ......

7. पेमेंट सीट पर प्रवेश लेने वाले सभी वर्गो के अभ्यर्थियों को रु. 5000/— (रु. पॉच हजार मात्र) का रेखांकित बैक ड्राफ्ट, जो **"ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर"** को देय हो, जमा करना आवश्यक है।

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रो से शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्को की वसूली/प्रतिपूर्ति शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशो के अनुसार की जावेगी।

9. आरक्षण की सुविधा चाहने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पी.ए.टी. नियम पुस्तिका 2011 में दिये गये निर्धारित प्रारुप में यथा योग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थी को सुनिश्चित दिनांक एवं समय पर काउंसिलिंग स्थल पर अनिवार्य रुप से उपस्थित होना आवश्यक है। देर से आने वाले अथवा अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगे। उपरोक्त दशा में विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा।

11. मेरिट/प्रतीक्षा सूची के आधार पर समस्त श्रेणियों के अन्तर्गत **बी.एससी. (कृषि) / बी.एससी. (उद्यानिकी)** पाठ्यक्रम में यदि अभ्यर्थियों का चयन, संयुक्त काउंसिलिग के दौरान जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर या राजमाता विजयाराजे सिधिंया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले घटक महाविद्यालयों में होता है तो इस स्थिति में प्रवेश के पश्चात प्रवेशित छात्रों/छात्राओं को उसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्रदान की जावेगी।

12. काउंसिलिंग के समय जबलपुर में महाविद्यालय आवंटन के पश्चात आपको सम्बधित कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय पहुचने पर महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा प्रदत्त प्रवेश प्रपत्र भरना होगा। उक्त प्रवेश प्रपत्र के साथ रु. **250/— (रु. दो सौ पचास)** का रेखाकिंत बैक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर जो **("ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर" अथवा "राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर" जो भी लागू हो)** के देय हो, संलग्न करना होगा।

13. चयनित हुए अभ्यर्थी को निर्धारित तिथी पर पूरी फीस के साथ सम्बधित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त माना जावेगा।

14. यदि प्रवेश के पश्चात कभी भी यह पाया गया कि आपने गलत प्रमाण पत्रों/जानकारी के आधार पर प्रवेश पाया है, अथवा किसी भूलवश आपको प्रवेश दे दिया गया है, तो आपका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

15. प्रवेश पाने की दशा में आपके पिता/पालक को कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय में आपके अच्छे व्यवहार एवं सच्चरित्रता हेतु शपथ पत्र भरना होगा।

16. काउंसिलिंग के सबंध में विस्तृत जानकारी जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वेवसाइट **www.jnkvv.nic.in** एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की वेवसाइट **www.rvskvv.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

17. **अभ्यर्थियों को डाक द्वारा काल लेटर नहीं भेजे जावेगे।**

अधिष्ठाता कृषि संकाय
जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर